न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/31/2020

1. तुषार उम्र 6 वर्ष पुत्र स्व. गणेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुप्यार देवी पत्नी स्व. गणेश
2. सुप्यार देवी पत्नी स्व. गणेश उम्र 25 वर्ष

समस्त जाति शेषमा जाट, निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र दौलाराम
2. राजू पुत्र रामेश्वर
3. मूलचंद पुत्र रामेश्वर
4. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर
5. मंजू पुत्री रामेश्वर

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला–सीकर

6. तहसीलदार, धोद जिला सीकर
7. उपपंजीयक, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति–

01. श्री राजेश माथुर, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री गणपत लाल, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 16.03.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "कृषि भूमियां खसरा सं. 25 रकबा 3.02 हेक्टेयर, खसरा सं. 33 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, खसरा सं. 95 रकबा 3.16 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.7500 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का बाडलवास तहसील धोद में अवस्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त आराजियात पूर्व में वादी/प्रार्थी सं. 01 के पड़दादा दौलाराम के खातेदारी, कब्जे, काश्त की भूमियां थी, जो अप्रार्थी सं. 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि में वादी/प्रार्थी सं. 1 के दादा अप्रार्थी सं. 1 रामेश्वर के खातेदारी में 1/12 भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की वंशावली निम्नानुसार है–

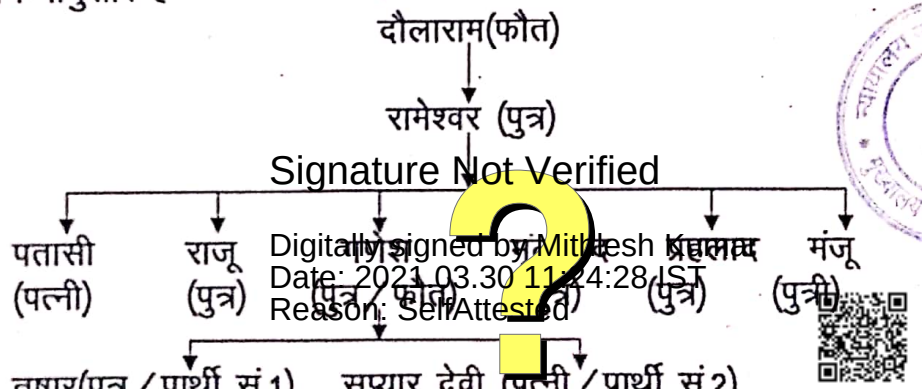

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

यह कि वादग्रस्त आराजियात स्व. दौलाराम के फुटस्टेपर पर अप्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज हुई है, जो पैतृक कृषि भूमियां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रार्थीगण का हक व हिस्सा उनके पिता व पति स्व. गणेश के हिस्से 1/12 में से 1/6 वां

Scanned with CamScanner

हिस्सा अर्थात् 1/72 वां हिस्सा निहित है और अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का भी प्रार्थीगण के संयुक्त हक व हिस्से के अनुसार ही 1/72 वां हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण उक्त हक हिस्से के अनुसार खातेदार, काश्तकार उद्घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीया सं. 1 के पिता व प्रार्थीया सं. 1 के पति गणेश का देहान्त दिनांक 19.02.2015 को होने के बाद प्रार्थिया सं. 2 अपने पति के हक व हिस्से को काश्त करती रही है। कभी भी अप्रार्थी या अन्य किसी ने उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं की थी। स्वयं अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण के हक हिस्से को स्वीकारते हुये एक लिखावट अपने अन्य सभी पुत्रगणों के समान जायदाद में बराबर–बराबर हिस्सो दिये जाने का कथन किया है और उक्त लिखावट को 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिनांकित 26.03.2015 में वर्णित किया है। किन्तु दिनांक 01.09.2020 को अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने प्रार्थीया सं. 2 को वादग्रस्त आराजियात में स्व. गणेश के हक व हिस्से को काश्त नहीं करने दिया और प्रार्थीगण को उनका हक व हिस्सा नहीं देकर कृषि भूमियों को विक्रीत, अन्तरित करने पर अमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं होगी। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 25 रकबा 3.02 हेक्टेयर, खसरा सं. 33 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, खसरा सं. 95 रकबा 3.16 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.7500 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का बाडलवास तहसील धोद में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।''

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की ओर जवाब पेश नहीं होने पर अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदेही बंद की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री गणपतलाल, एड. उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण के आवेदन की मद संख्या 2 में दर्ज सही होने से स्वीकार है। आवेदन की मद सं. 3 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, वह गलत होने से अस्वीकार है। आवेदन की मद सं. 4 में जवाबदाता के वारिसानों की वंशावली दर्शित की गई, उसमें प्रार्थीया सं. 2 ने अपने आपको जवाबदाता का वारिस बताकर गलत रूप से दर्शित कर वंशावली गलत तैयार करवाई है। जबकि जवाबदाता के पुत्र गणेश की मृत्यु के बाद प्रार्थीया सं. 2 अपने पुत्र प्रार्थी सं. 1 सहित पीहर चली गई तथा उसके बाद दिनांक 09.01.2019 को बनवारी पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी गुर्जरों की ढाणी तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर से विवाह कर लिया उक्त विवाह बाबत इकरारनामा भी 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 09.01.2019 को प्रार्थीया व बनवारीलाल के मध्य निष्पादित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण जवाबदाता पर आश्रित नहीं है। प्रार्थी सं. 1 भी प्रार्थीया सं. 2 के पुर्नविवाह के बाद उसके पति बनवारीलाल के साथ [illegible] की मद सं. 5 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, वह गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजियात का जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 1 [illegible] प्रार्थीगण जवाबदाता के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की उद्घोषणा नहीं करवा सकते है। उक्त आराजियात ही जवाबदाता के जीविकोपार्जन का साधन है, यदि उसके जीवनकाल में कोई उक्त आराजियात की उद्घोषणा करवाता है, तो ऐसी स्थिति मे जवाबदाता के जीवनकाल में उसके वारिसान खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। आवेदन की मद सं. 6 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, वह गलत होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया सं. 2 के पति गणेश की दिनांक 18.02.2015 को मृत्यु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

बाद अपने पीहर चली गई तथा उसके बाद बनवारी से शादी कर उसके साथ आवास निवास करने लगी। प्रार्थीया सं. 2 ने जवाबदाता की खातेदारी की भूमि में कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं किया है और जवाबदाता के पुत्र गणेश की मृत्यु के बाद जवाबदाता के पास रही है। इसलिए दिनांक 01.09.2020 को प्रार्थीया सं. 2 को काश्त के लिए कभी मना नहीं करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जवाबदाता ही वादग्रस्त का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को प्रार्थीगण किसी भी सूरत में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है। आवेदन की मद सं. 7 गलत होने से अस्वीका है। प्रार्थीगण ने झूंठे व मनगंढत आधारों पर हस्तगत प्रस्तुत आवेदन खारिज योग्य है। प्रार्थीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीयागण के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीयागण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न वर्तमान जमाबंदी के अनुसार पैतृक विवादित भूमि रामेश्वर पुत्र दौलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार का हिस्सा 1/12 दर्ज है। जिसमें खातेदार रामेश्वर अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र गणेश की मृत्यु के बाद उसके वारिसान का हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में बनता है। इसलिए प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु होने के बाद अपने पिता की पैतृक भूमि में उसके वारिसान का अधिकार बनता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– विवादित भूमि पैतृक होने तथा प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं.1 के पुत्र स्व. गणेश के वारिसान होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– विवादित भूमि पैतृक है। अतः यदि उक्त भूमि का Further बेचान होता है, तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने/बेचान न करने बाबत टी.आई. जारी किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 25 रकबा 3.02 हेक्टेयर, खसरा सं. 33 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, खसरा सं. 95 रकबा 3.16 हेक्टेयर कुल [illegible] हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का बाडलवास तहसील धोद के मौके [illegible] की यथास्थिति बनाये रखें तथा बेचान न करने बाबत पाबंद [illegible] बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:28 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner